समाचार-प्रकाशनार्थ:-

होम आईसोलेशन मरीजों को मे ड सन कट का वतरण
48 मरीजो को कया मे ड सन कट का वतरण
मरीज के परिजनों को 82 मे डकल कट का वतरण

रतलाम 22 मई। को वड-19 संक्रमण में होम आईसोलेशन के मरीजो को मे ड सन कट व स्वास्थ्य वभाग के निर्देशों की प्रति की होम डलेवरी कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड वार गठित दलों द्वारा मरीजो के घर जाकर मे डकल कट प्रदान की।

ई-दक्ष केन्द्र रतलाम से 22 मई को होम आईसोलेशन के मरीजो की सूची स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह ने प्राप्त कर जिला अस्पताल के स्टोर से 64 मे ड सन कट प्राप्त कर निगम के अग्निशमन वभाग में उपलब्ध कराई जिसे अग्निशमन वभाग से वार्ड वार गठित दलो वतरण हेतु उपलब्ध कराई गई।

वार्ड वार गठित दलो द्वारा होम आईसोलेशन के मरीजो के घर-घर जाकर मे डकल कट का वतरण कया गया जिसके तहत सूची अनुसार 48 मरीजो को मे डकल कट का वतरण घर पर कया गया। 5 मरीज उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होना पाया गयाए 5 मरीज नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर से होना पाया गया व 5 मरीजो को पूर्व से ही मे ड सन कट प्राप्त होना पाया गया तथा 1 मरीज का कान्टेक्ट नम्बर व पता गलत पाया गया। इसके अलावा 82 मे डसीन कट मरीज के परिजनों को प्रदान की गई।

नगरीय क्षेत्र में 151 कनटेंनमेंट झोन बनाये

रतलाम 22 मई। को वड-19 कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार ऐसे क्षेत्र जहां कोरोना संक्र मत मल रहे है

उस क्षेत्र को कनटेनमेंट झोन बनाया जा रहा है जिसके तहत अब तक 139 कनटेंनमेंट झोन बनाये जा चुके है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में 11 से 22 मई तक टाटा नगर में 2ए तेजा नगर में 2ए ओझाखालीए प्रताप नगरए प्रताप नगर एक्टेंशनए प्रताप नगर एक्टेंशन में मकान नम्बर 5ए 19 व 30ए ऑ फसर्स कॉलोनीए बालाजी नगरए थावरिया बाजारए वकील कालोनीए ब्राम्हणों का वासए वेदव्यास कालोनी में 4ए गुलमोहर कॉलोनीए देवरादेव नारायण नगरए जवाहर नगरए डोंगरे नगरए मोहन नगरए अलकापुरी अम्बे चौक के पासए आदर्श नगर गली नम्बर 3ए सुनाना ड्रीम होम्स सुमंगल गार्डन के पासए कस्तुरबा नगर मुख्य मार्ग पर 2ए दीनदयाल नगर मुख्य मार्गए दीनदयाल नगर मकान नम्बर 38 व 196ए दीनदयाल नगर राधा-कृष्ण स्कूल के पासए शास्त्री नगर में 2ए राजपूत बो र्डिंग के पास 2ए महेश नगरए सन सटी कॉलोनीए दीनदयाल नगर सी सेक्टर में 1 व जी सेक्टर में 2ए धीरजशाह नगर गली नम्बर 4 में 1 व गली नम्बर 5 में 2ए सलावटो का वासए कस्तुरबा नगर पीएण्डटी कोलोनीए अम्बिका नगरए राजीव नगरए सुयोग परिसरए थावरिया बाजारए वेदव्यास कालोनी अ भलाषा अपार्टमेन्टए खटीक मोहल्लाए दीनदयाल नगर डी सेक्टरए तेजा नगर गली नम्बर 4ए नेमीनाथ नगरए गौशाला रोडए सुतारो का वासए जवाहर नगरए जनता नगरए अलकापुरीए भोयरा बावड़ीए ताहेरपुराए अलकापुरी मुख्य मार्गए कस्तुरबा नगर सांवरिया स्वीट् के पासए जवाहर नगरए बाणेश्वरी कॉलोनीए नेमीनाथ नगरए दीनदयाल नगर बी सेक्टरए तेजा नगर गली नम्बर 4 आदर्श गुरू कल्याण नगरए रिद्धी- सद्धी कालोनीए सद्धांचलम एक्सटेंशनए महेश नगरए इन्द्रा नगरए सैनिक कालोनीए टाटा नगर गली नम्बर 1 व 8ए सलावटो का वास अन्न क्षेत्रए करमदी रोडए सुदामा परिसरए अजंता पेलेसए राजस्व कालोनीए खटीक मोहल्लाए हाथीखानाए खटीक मोहल्लाए गौशाला रोडए जाटो का वासए नौलाईपुराए टाटा नगर गली नम्बर 7ए अरिहंत परिसर सेक्टर नम्बर 2 में 2 व 1 में 1ए नूरी नगर उंकाला रोडए सूरजमल जैन नगरए लक्ष्मीनगर ए कालोनीए

एम.बी. नगरए लक्ष्मणपुरा पीएनटी कालोनी गली नम्बर 1ए ग्लोबस टाउन शपए अलकापुरी एम.आई.जी. 24 व 25 व अलकापुरी डी 27 व बी 279ए हिम्मत वहार कालोनीए अशोक नगरए करण नगरए जूनी कलालसेरीए दीनदयाल नगर एफ सेक्टरए वेदव्यास कालोनीए ताहेरपुराए श्रीमालीवासए जवाहर नगर व मोहन नगर में 2 कन्टेनमेंटए हाथीखानाए खान बावड़ीए गुलमोहर कालोनीए रामदेवजी की घाटीए दीनदयाल नगर सी सेक्टरए करण नगरए जूनी कलालसेरीए कल्याण नगरए गांधी नगरए डोंगरेए इन्द्रा नगरए दीनदयाल नगर डीए ई व एफ सेक्टरए हिम्मत नगर में 2ए महेश नगरए जवाहर नगरए अम्बेडकर नगरए कोमल नगरए मत्र निवास रोडए टीआईटी रोड पर 2ए गुलमोहर कालोनीए महू रोड रायल कालेज के पास पटेल हाउसए आम लया भेरूए रत्नपुरीए न्यू ग्लोबस सटीए पीएनटी कालोनीए वीआईपी नगरए भोई मोहल्लाए जावरा रोड सीतला माता मंदिर के पास कनटेन्मेंट झोन बनाये गये है इस तरह 12 दिवस में 151 कनटेनमेंट झोन रतलाम नगरीय क्षेत्र में बनाये गये हैं।

युद्ध स्तर पर चल रहा है नाले-ना लयों की सफाई का कार्य

7 नालो की सफाई का कार्य जारी

नालो की सफाई उपरांत कया जा रहा है कीटनाशक दवा का छिड़काव

रतलाम 22 मई। वर्षा ऋतु के पूर्व नगर के समस्त नाले-ना लयों की सफाई करवाये का कार्य निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देश के तहत निगम के स्वास्थ्य वभाग द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है साथ ही नालो की सफाई उपरान्त कीटनाशक दवा का छिड़काव भी कया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा पेपर मल के पास गुलमोहर कॉलोनी के पासए तेजा नगर ब्लॉक नम्बर 1ए गौशाला रोड नागेश्वर व्यायामशाला के पासए इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पीछेए गोमदड़े की पुलए ओझाखाली व राजेन्द्र नगर नाले की सफाई का कार्य स्वास्थ्य

अ धकारी श्री ए.पी. संह के निर्देशन में कया गया व सफाई उपरान्त नालों व ना लयों में केसो लक व ब्ली चंग कीटनाशक दवा का छिड़काव कया गया।

खाद्यान्न पर्ची हेतु झोन कार्यालयों पर लये जा रहे हैं आवेदन
पात्रता पर्ची हेतु 3868 नागरिकों ने जमा कराये आवेदन
पात्र परिवारो के सत्यापन हेतु राशन- मत्र पोर्टल पर कार्य प्रारंभ

रतलाम 22 मई। शासन निर्देशानुसार को वड-19 के संक्रमण के कारण लॉक डाउन अव ध में गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पात्रता पर्ची वहीन/छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न वतरण हेतु अस्थायी पर्ची बनाने हेतु 14 से 22 मई तक नागरिकों ने निगम के झोन क्रमांक 1 पर 807ए झोन क्रमांक 2 पर 886ए झोन क्रमांक 3 पर 1062 व झोन क्रमांक 4 पर 1113 इस तरह कुल 3868 आवेदन जमा कराये। प्राप्त आवेदनों के पात्र परिवारों के सत्यापन की कार्यवाही राशन- मत्र पोर्टल पर प्रारंभ कर दी गई है। अस्थायी पात्रता पर्ची बनाने हेतु निगम के झोन कार्यालयों पर प्रातः 8ः00 बजे से आवेदन व आवश्यक दस्तावेज लये जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क एनएफएसए 2013 अन्तर्गत 24 श्रेणी के परिवारों को पात्रता श्रेणी अन्तर्गत सम्मि लत कया गया है। को वड-19 के संक्रमण के कारण लॉक डाउन अव ध में गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पात्रता पर्ची वहीन/छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न वतरण हेतु अस्थायी पर्ची बनाने हेतु निगम के झोन क्रमांक 1 अलकापुरी कम्यूनिटी हॉलए झोन क्रमांक 2 अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्डए झोन क्रमांक 3 अमृत सागर उद्यान भवन व झोन क्रमांक 4 हरमाला सम्पवेल भवन पर प्रातः 8ः00 बजे से नियुक्त अ धकारी एवं कर्मचारियों द्वारा आवेदन लये जायेंगे। हितग्राहियों हेतु आवेदन की व्यवस्था झोन कार्यालयों पर की गई है हितग्राही को वड-19 की गाईड लाईन का पालन कर व मास्क लगाकर को अपने साथ समग्र आई.डी.ए आधार

कार्ड व 24 श्रे णयों में से कसी भी एक श्रेणी के दस्तावेज की छाया प्रति साथ में लावें।

खाद्यान्न वतरण हेतु अस्थायी पर्ची के लये 24 श्रेणी क्रमशः समस्त बीपीएल परिवारए वना धकार प`धारीए समस्त भू महीन कोटवारए मध्यप्रदेश में निवासरत् समस्त अनुसू चत जाति के परिवारए मध्यप्रदेश में निवासरत् समस्त अनुसू चत जनजाति के परिवारए वर्ष 2013.14 में प्राकृतिक आपदा में प्रभा वत परिवार जिनकी फसलों से क्षति 50 प्रतिशत या उससे अ धक होए समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अन्तर्गत पंजीकृत श्र मक हैं एव उन पर आ श्रत परिवारों के सदस्यए बंद पड़ी मलों में नियोजित पूर्व श्र मकए बीड़ी श्र मक कल्याण निधी अ धनियम 1972 के परिचय पत्र धारी बीड़ी श्र मकए ग्रा मण क्षेत्रों के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनान्तर्गत भू महीनए खेतीहर पंजीकृत मजदूर एवं आ श्रत परिवार के सदस्यए साइ कल रिक्शा चालक एवं हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत साइ कल रिक्शा/हाथ ठेला चालक एवं आ श्रत परिवारों के सदस्यए घरेलू कामकाजी महिलाऐंए फेरीवाले स्ट्रीट वेण्डरए नगरीय निकायों के पंजीकृत केश शल्पीए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं आ श्रत परिवारों के सदस्यए अनाथ आश्रम निरा श्रत/वकलांग छात्रावासों में निवासरत् बच्चे तथा वृद्धाश्रमों में निःशुल्क निवारत् वृद्धजनए पंजीकृत बहु वकलांग एवं मंदबुद्धी व्यक्तिए रेलवे में पंजीकृत कुलीए मं डयो में अनुज्ञाप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटीए कुटीर एवं ग्रामोधोग वभाग अन्तर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शल्पीए एचआईव्ही (एड्स) संक्र मत व्यक्ति (जो स्वेच्छा से लाभ लेना चाहते हो)ए मत्सय पालन करने वाले (मछुआ) सहकारी स मतियों में पंजीकृत परिवार/ सदस्यए पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक व वमुक्त घुम्मकड़ एवं अर्धघुम्मकड़ जातियों के परिवार जो पूर्व से अनुसू चत जाति/जनजाति परिवारों से छूटे हुए है।

कन्टेनमेंट क्षेत्रों में कया जा रहा है सेनेटाईजेशन का कार्य

रतलाम 22 मई। को वड-19 ;कोरोना वायरस) के फैलाव को रोकने हेतु जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर के व भन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्र मत मरीज पाये जाने पर बनाये गये कन्टेनमेंट क्षेत्रों में फायर लॉरीए टे्रक्टर ट्रॉली व हैण्ड स्प्रे मशीन से सेनेटाईजेशन कया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगर के व भन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्र मत मरीज पाये जाने पर बनाये गये व भन्न कन्टेनमेंट क्षेत्रों में फायर लॉरीए टे्रक्टर ट्रॉली व हैण्ड स्प्रे मशीन से 151 कन्टेनमेंट क्षेत्रों में निय मत रूप से पानी में 1 प्रतिशत सो डयम हाईपोक्लोराईड मलाकर सेनेटाईजेशन का कार्य झोन अनुसार नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा निय मत रूप से कया जा रहा है ता क को वड-19 ;कोरोना वायरस) के फैलाव को जा सकें।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा
821 मवे शयों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा

रतलाम 22 मई । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अ भयान चलाया जा रहा है जिसके तहत 22 मई तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 821 मवे शयों को पकड़ा जाकर

जिले की वभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 22 मई को सैलाना बस स्टैण्ड से बरबड़ तक के क्षेत्र से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500़ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

‘ ‘ कल कोरोना-3ष अभियान के तहत 8 स्थानों पर कोवड सहायता केन्द्र का संचालन

रतलाम 22 मई। शासन निर्देशानुसार कोवड-19 के परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए ष कल कोरोना-3ष अभियान के तहत रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र में 8 स्थानों पर कोवड सहायता केन्द्र का संचालन कया गया है जिसमें नगर निगम अधिकारी/कर्मचारीए मेडकल

ऑ फसरए आंगनवाड़ी सुपरवाईजरए स्टॉफ नर्सए एएनएमए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है।

ष्ष कल कोरोना-3ष्ष अ भयान के तहत वार्ड क्रमांक 33ए 34ए 35ए 36 व 31 हेतु टीआईटी रोड डस्पेंसरीए वार्ड क्रमांक 30ए 31 व 32 हेतु जावरा रोड प्राथ मक स्कूल डी मार्ट रोडए वार्ड क्रमांक 27ए 28 व 29 हेतु दिलीप नगर डस्पेंसरीए वार्ड क्रमांक 20ए 21ए 22ए 23ए 24ए 25ए 44 व 45 हेतु मोती नगर प्राथ मक स्कूलए वार्ड क्रमांक 26ए 37ए 38ए 39ए 40ए 41ए 42 व 43 हेतु हा कम वाड़ा डस्पेंसरीए वार्ड क्रमांक 15ए 16ए 17ए 18ए 19ए 46ए 47ए 48 व 49 हेतु सुभाष नगर कम्युनिटी हॉलए वार्ड क्रमांक 1ए 2ए 3ए 4ए 5ए 6ए 7 व 8 अर्बन प्राथ मक स्वास्थ्य केन्द्र गणेश नगर व वार्ड क्रमांक 9ए 10ए 11ए 12ए 13 व 14 हेतु रेडक्रास भवन बिरियाखेड़ी मेन रोड पर को वड सहायता केन्द्र का संचालन कया गया है। उक्त केन्द्रो पर नियुक्त नगर निगम अ धकारी एवं कर्मचारियों हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल को नोडल अ धकारी नियुक्त कया है। इसके अलावा को वड सहायता केन्द्र पर नियुक्त मे डकल ऑ फसरए आंगनवाड़ी सुपरवाईजरए स्टॉफ नर्सए एएनएमए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु श्री नईम मोहम्मद खान प्रभारी ए.पी.एम. मो0नं0 9685330094 व श्री लोकेश वैष्णव प्रभारी बी.ई.ई. मो0 नं0 7999606919 को नोडल अ धकारी बनाया गया है।

को वड सहायता केन्द्र पर शीघ्रातिशीघ्र सर्दी/खांसी/प्स्प् के लक्षण वाले रो गयों की प्राथ मक जांच एवं परामर्श दिया जायेगाए गले में खराश/सांस लेने में कठिनाई/बदन दर्द/ सर दर्द के साथ बुखार यझ38°ब्ध्100ण्4°थ्द्धआदि लक्षण युक्त रो गयों का लक्षण आधारित उपचार व संभा वत को वड-19 रो गयों का निकटस्थ फीवर क्लीनिकपर रेफरल का कार्य कया जायेगा।

कसी भी प्रकार बुखार तथा बुखार के साथ कोई अन्य लक्षण जैसे की बुखार के साथ सर्दी-खॉसीए सांस लेने में तकलीफए गले में खराशए

कमजोरीए चक्करए दस्तए गंध अथवा स्वाद कम होने पर नागरिक अपने नजदीकी को वड सहायता केन्द्र पर संपर्क करें।

नगर में प्रतिदिन कया जा रहा है सेनेटाईजेशन

नगर के व भन्न क्षेत्रों को फायर लॉरी से कया सेनेटाईज

रतलाम 22 मई। रतलाम नगर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार निगम के व भन्न वाहनों के माध्यम से सो डयम हाईपोक्लोराईड से सेनेटराईज कया जा रहा है साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाईजेशन कया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व टे्क्टर ट्रॉली से नगर के व भन्न क्षेत्रों की सड़कोंए ग लयोंए भवन आदि को 1 प्रतिशत सो डयम हाईपोक्लोराईड मलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटराईज कया जा रहा है। 22 मई को फायर लॉरी व टे्क्टर ट्रॉली से मे डकल कालेजए भक्तन की बावड़ी मुक्तिधामए त्रिवेणी मुक्तिधामए दीनदयाल नगरए डोंगरे नगर सहित नगर के व भन्न क्षेत्रों में सेनेटाईजेशन कया गया। इसके अलावा 14 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से मे डकल कॉलेजए माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रए कलेक्टोरेटए ई-दक्ष कार्यालयए नगर निगम कार्यालय सहित शासकीय कार्यालयो आदि में सेनेटराईजेशन का कार्य कया गया।

नगर के सेनेटराईज कये जाने के साथ ही स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य कया जा रहा है व सफाई उपरान्त सफाई स्थल व ना लयों में कीटनाशक दवा का छिड़काव कया जा रहा है।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 22 मई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को

निर्दे शत कया है क वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबं धत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबं धत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्दे शत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क दोनो पा लयों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्दे शत कया है क वे प्रतिदिन प्रमा णत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 22 मई। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 नगर में ऐसे दुकानदार

एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे। नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 22 मई । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/22ण05ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.